

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकंला जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी - श्री महावीर प्रसाद नायक (आर.ए.एस.)

प्र०स० - 361/2018

उनवान

- 1 राजकुमार पिता दामोदर लाल मानसिंका उम्र वयस्क निवासी भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा राज. _____ (प्रार्थी)

बनाम

1. मु.कंचन पत्नी भागचन्द जाट उम्र वयस्क निवासी भादवों की कोटडी तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा डिलीट
2. मु.शोभाग पत्नी लालचन्द जाट उम्र वयस्क निवासी भादवों की कोटडी तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा डिलीट
3. किशना पिता गोकल जाट उम्र वयस्क निवासी भादवों की कोटडी तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा राज. डिलीट
4. मु.कमला पुत्री नाथु लाल जाट उम्र वयस्क निवासी भादवों की कोटडी तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा राज. डिलीट
5. रामकिशन पिता सोहनलाल जाट उम्र वयस्क निवासी भादवों की कोटडी तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा राज. डिलीट
6. रामपाल पिता पृथ्वीराज जाट उम्र वयस्क निवासी भादवों की कोटडी तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा राज. डिलीट
7. हुकमीचन्द पिता गोकल जाट उम्र वयस्क निवासी भादवों की कोटडी तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा राज. डिलीट
8. रामचन्द्र पिता गोकल जाट उम्र वयस्क निवासी भादवों की कोटडी तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा राज. डिलीट
9. उंकार पिता भुवाना रेगर उम्र वयस्क निवासी भादवों की कोटडी तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा राज. डिलीट
10. भैरूलाल पिता काना गुर्जर उम्र वयस्क निवासी भादवों की कोटडी तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा राज. डिलीट
11. मु.संतोष बेवा रघुवीर जाट उम्र वयस्क निवासी भादवों की कोटडी तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा राज. डिलीट
12. रामा पिता काना माली उम्र वयस्क निवासी कोठिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा राज.
13. रामकरण पिता लादु माली उम्र वयस्क निवासी कोठिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा राज.
14. उदा पिता लादु माली उम्र वयस्क निवासी कोठिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा राज.
15. गंगाराम पिता लादु माली उम्र वयस्क निवासी कोठिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा राज.
16. लाला पिता लादु माली उम्र वयस्क निवासी कोठिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा राज.
17. जमनालाल पिता मोती जाट उम्र वयस्क निवासी भादवों की कोटडी तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा राज. डिलीट
18. भंवरलाल पिता मोती जाट उम्र वयस्क निवासी भादवों की कोटडी तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा राज. डिलीट
19. रामधन पिता मोती जाट उम्र वयस्क निवासी भादवों की कोटडी तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा राज. डिलीट
20. पूसाराम पिता मिश्रीलाल जाट उम्र वयस्क निवासी खेडा पालोला तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा राज.
21. पन्नालाल पिता काना नायक उम्र वयस्क निवासी कोठिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा राज.
22. नानू लाल पिता चम्पालाल कुमावत उम्र वयस्क निवासी कोठिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा राज.
23. सौरभ पिता कमल नयन मानसिंहका उम्र वयस्क निवासी भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा राज.
24. रामदेव पिता हरदेव चमार उम्र वयस्क निवासी खेडा पालोला तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा राज.
25. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार फुलियाकंला जिला भीलवाड़ा _____ (अप्रार्थीगण)

उपस्थित-

प्रार्थी अधिवक्ता- श्री अनिल शर्मा



प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, रा.भू.अधिनियम 1956 बाबत कराने पत्थरगढी आराजीयात

:: निर्णय ::


दिनांक - 27.02.2020

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 रा0भू0राजस्व अधिनियम 1956 के तहत न्यायालय मे दिनांक 08.06.2018 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके ग्राम कोठियां पटवार मण्डल कोठियां भू0अ0नि0 अरवड तहसील फुलियाकंला मे उसके खाते की कृषि भूमि खाता संख्या 728 के आ0न0 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2665, 2666 किता 9 रकबा 12.94 है. भूमि स्थित हैं। उक्त वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ोसी हैं। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजीयात के सीमा चिह्न नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता हैं। जिससे कि प्रार्थी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता हैं। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थनापत्र इस न्यायालय मे दिनांक 08.06.2018 पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगणों को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किये गये। विपक्षी क्रम 01 से 11 व 17 से 19 को छोडकर शेष समस्त विपक्षीगणो को जारी सम्मन/नोटीस बाद तामील लौटकर प्राप्त, जिन्हे शामिल पत्रावली किये गये, अवशेष रहे विपक्षीगण सूचना के बावजूद नियत पैशी पर अनुपस्थित रहने से विरुद्ध विपक्षीगण एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। विपक्षी क्रम 01 से 11 व 17 से 19 का सम्मन लौटकर अप्राप्त। इस पर अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा विपक्षी क्रम 01 से 11 व 17 से 19 के विरुद्ध कोई कार्यवाही नही चाहने का कथन रखते हुए प्रमाण में आदेशिका पर इसका अंकन कर हस्ताक्षर किये गये। प्रार्थी का निवेदन स्वीकार कर प्रा.पत्र में विपक्षी क्रम 01 से 11 व 17 से 19 का नाम डिलीट किये जाने की आज्ञा पारित की गई। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर गौर किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित हैं कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते की कृषि भूमि हैं और इस प्रकार न्यायिक दृष्टि से एक खातेदार अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का हकदार हैं। अतः प्रार्थना प्रार्थी न्यायिक दृष्टिकोण से स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र विरुद्ध विपक्षीगण स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम कोठियां पटवार मण्डल कोठियां भू0अ0नि0 अरवड तहसील फुलियाकंला मे उसके खाते की कृषि भूमि खाता संख्या 728 के आ0न0 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2665, 2666 किता 9 रकबा 12.94 है. भूमि की पत्थरगढी बसामलात पक्षकारान की जाने का आदेश पारित किया जाता है। उक्त आदेश की पालना के लिए भू-अभिलेख निरीक्षक अरवड को नियमानुसार फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थी द्वारा अदा की जायेगी। भू-अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढी से न्यूनतम तीन दिन पूर्व सभी पड़ोसियान को उपरोक्त आराजीयात की पत्थरगढी हेतु लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथि बाबत् सूचित करेंगे। मौके पर खड़ी फसल के दौरान पत्थरगढी नहीं की जावे। पक्षकारान उभयपक्ष की मौजूदगी में ही पत्थरगढी की जावें। मुस्तकीन बिन्दू को आधार मानकर पत्थरगढी किए जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार फुलियाकंला को भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। यह आदेश आज दिनांक 27.02.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(महावीर प्रसाद नायक)
उपखण्ड अधिकारी,
फुलियाकंला, जिला भीलवाडा